Tel- 01376-254110(o)
Fax-01376-254110
Website-www.sdsuv.ac.in
E-mail-sdsuv123@gmail.com

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Ref. No.: 1232/SDSUV/ /2016-17 Dated : 01/09/2016.

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना–421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 जनवरी, 2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले समस्त संस्थान सत्र 2016–17 से प्राचार्य एवं फैकल्टी चयन की चयन समिति गठित करने हेतु विश्वविद्यालय में निम्न प्राविधानानुसार आवेदन पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें :–

"ड"(i)सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(1)महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
(2)सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य।
(3)एक वरिष्ठ प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष(विषय से सम्बन्धित) जिसे प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
(4)सम्बन्धित विश्वविद्यालय जिससे सम्बद्ध हो, के कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिससे एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए था तथा
(5)सम्बन्धित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कुलपति से अनुमोदित पैनल की सूची में से नामित दो सदस्य, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो।

परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक के लिए पांच सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति समझी जायेगी, और जिसमें तीन विषय विशेषज्ञों में से न्यूनतम दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

"ड"(ii)सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–
(1)शासी निकाय का अध्यक्ष –अध्यक्ष।
(2)शासी निकाय का एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।
(3)कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य, जिसमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए ।
(4)कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो कि महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का आचार्य तथा आचार्य से अन्यून पंक्ति का एक प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे।

परन्तु कम से कम चार सदस्यों से, जिनमें दो विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति होगी।

उपकुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति।
2. निदेशक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध निजी स्ववित्त पोषित संस्थान।
3. कार्यालय प्रति।

उपकुलसचिव।